AGPE THE ROYAL GONDWANA RESEARCH JOURNAL
OF HISTORY, SCIENCE, ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
ISSN (E): 2583-1348 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 04| May 2022| *www.agpegondwanajournal.co.in* | Page No. 80-90

रोहिंग्या समस्या और समाधान

पर्वत कुमार कृष्णा[1] * एंव डॉ. संध्या जायसवाल[2]

[1*]**पर्वत कुमार कृष्णा**, शोधार्थी - एम. फिल. (राजनीति विज्ञान), बिलासपुर (छ.ग.)
[2]**डॉ. संध्या जायसवाल**, निर्देशिका डॉ. सी. वी. रामन यूनिवर्सिटी, करगी रोड़ कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

~~~~~~

सारांश :–

रोहिंग्या समस्या वर्तमान औद्योगिकरण एवं वैश्वीकरण के युग में एक ज्वलंत शरणार्थी समस्या बनकर उभरी है। जिसने ना सिर्फ संबंधित राष्ट्रों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या एवं विश्व के सर्वाधिक उत्पीड़ित मानवीय समस्या के कारण राष्ट्रों की विदेश नीतियां प्रभावित हुई है। रोहिंग्या नागरिकता से रिक्त अल्पसंख्यक मानव समुदाय है। नागरिकता रहित मानव समुदाय का किसी भी राष्ट्र में कोई मूल्य नहीं होता है। क्योंकि वह अपने जीवन के लिए मानवीय अधिकारों को, राष्ट्र कि नागरिकता के अभाव में प्राप्त नहीं कर सकता है। वर्तमान वैश्विक उदारीकरण एवं लोकतांत्रिक युग में नागरिकता और अधिकारों से वंचित, उत्पीड़ित व्यापक मानव समुदाय का होना विश्व की कुंठित मानसिकता और विकसित मानव सभ्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। जिस प्रकार ज्ञान के अभाव के कारण आदिम समय में मानव प्रजाति बर्बर थी। उसी प्रकार आज नागरिकता से रिक्त एवं अधिकारों से रहित रोहिंग्या समुदाय को संबंधित राष्ट्रों के लिए एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है, तो इसका कारण इस अल्पसंख्यक समुदाय को ज्ञान, शिक्षा और अधिकार से वंचित रखा जाना ही है। अतः रोहिंग्या शरणार्थी समस्या का स्थाई समाधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक संगठनों एवं मानव अधिकार संगठनों द्वारा व्यापक, निरंतर और ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इसके साथ ही संबंधित राष्ट्रों द्वारा अपने देश के संविधान के नागरिकता कानून में, स्थाई शरणार्थियों के संबंध में, आंशिक संशोधन कर इस समस्या को हल किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : – शरणार्थी, अल्पसंख्यक, नागरिकता, अधिकार, शिक्षा, न्याय।

CORRESPONDING AUTHOR:	**RESEARCH ARTICLE**
Parwat Kumar Krishna Research scholar - M.Phil (Political Science) Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur, Chattisgarh India Email: parwatkrishna@gmail.com	
~~~~~~

प्रस्तावना –

"रोहिंग्या" का अर्थ है "रोहंग के रहने वाले"। यह माना जाता है कि "रोहंग" अरबी शब्द "रहम" से लिया गया है। और यह "ईश्वर की कृपा" का प्रतीक है। अराकान म्यांमार में मुसलमान खुद को "अल्लाह के कार्यकर्ता" मानते हैं। रोहिंग्या अल्पसंख्यक, अधिकतम रुप से मुस्लिम है, और आमतौर पर बांग्लादेश के स्थानीय रहवासी है। जो म्यांमार के रखिन इलाके में रहते हैं। म्यांमार सरकार इन रोहिंग्याओं को नागरिकता देने से मुकर कर रही है। इस ग्रह पर रोहिंग्या अल्पसंख्यकों की पूर्ण आबादी कई मिलियनों में है। और वर्तमान में यह दुनिया के सबसे पीड़ित अल्पसंख्यक ग्रुप में बदल गया है। बांग्लादेश में रोहिंग्या निर्वासितो की सबसे बड़ी आबादी रहती है। जिनकी कुल आबादी 1400000 से भी ज्यादा है। भारत में रोहिंग्या विस्थापित लोगों के अर्थात रोहिंग्या निर्वासितों की संख्या लगभग 50000 से भी ज्यादा है। जो अवैध विदेशियों के रूप में या भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में निर्वासितों के रूप में रह रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के अलावा इनकी संख्या म्यांमार, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, संयुक्त राष्ट्र, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा, आयरलैंड, फिनलैंड, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिक, जैसे देशों में है। उनकी भाषा को वर्गीकृत किया गया है, रोहिंग्या भाषा के रूप में, जो बांग्ला भाषा की तरह लगती है। उनकी स्थिति और भाषा में अंतर होने और उनके अल्पसंख्यक होने के कारण, उन्हें लगातार सताया जा रहा है। जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। उन पर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है और म्यांमार में उन्हें घुसपैठिया माना जाता है। अंतर्राश्ट्रीय निर्वासित कानून 1951 का अनुसरण कर बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को आश्रय में रखा है। 1951 के इस कानून के अनुसार, कोई राष्ट्र किसी भी व्यक्ति को उसके परमानेंट देश में तब तक वापस नहीं भेजेगा, जब तक उसे उनके देश में, उसके अस्तित्व और जान को खतरा दिखाई देता हो, तत्कालीन समय में घटित हुई घटना, जिसमें भगवान बुद्ध के अनुयाई माने जाने वाले म्यांमार के लोगों व सैनिकों द्वारा रोहिंग्याओं के घर, गांव, बस्ती को आग में जला दिया गया और बड़े स्तर पर रोहिंग्याओं का नरसंहार किया गया है।

S.N.	Nation	Rohingya population	Percentage
1	Finland	14	0
2	Sri Lanka	42	0
3	Ireland	109	0
4	Canada	212	0.01
5	Nepal	198	0.01
6	Japan	290	0.01
7	Indonesia	1064	0.04
8	China	3062	0.11
9	Austalia	3045	0.11
10	Thailand	5269	0.18

11	United States	12684	0.42
12	India	50380	1.4
13	UAE	50500	1.75
14	Malaysia	150000	5.25
15	Saudi Arabia	190000	6.66
16	Pakistan	500000	17.51
17	Myanmar	600000	21.02
18	Bangladesh	1400000	45.54
	Total Rohingyas in World	**2966869**	

सारणी :– राष्ट्रों में रोहिंग्याओं की जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत।
स्त्रोत :– www.wikipedia.com

अध्ययन के उद्देश्य –

विश्व मानव चेतना का साकार रूप है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में रोहिंग्याओं के ऊपर हो रहे अमानवीय प्रताड़ना से संबंधित खबरों ने मानव चेतना को झकझोर दिया है। मानवीय सभ्यता के ऊपर प्रश्नचिन्ह अंकित कर चुका है। इस अध्ययन कार्यक्रम का मूल लक्ष्य राजनीतिक दृष्टि से रोहिंग्या मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है। म्यांमार में रोहिंग्या ऊपर भयंकर सैन्य गतिविधि और बर्बर कृत्य ने मानव के सभ्यता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोहिंग्याओं का अस्तित्व खतरे में है, और यह अपने जीवन और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आसपास के देशों में पलायन कर गए हैं। ये अपने ही देश में विस्थापित हो गए है। रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय बांग्लादेश में सबसे बड़ी विस्थापित आबादी है। बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्या लोगों की भारी आबादी भारत में प्रवेश कर रही है। नागरिकता के बिना विस्थापित लोगों के अभिसरण ने भारत में एक महत्वपूर्ण और चुनौती भरे आपातकाल को जन्म दे दिया है। म्यांमार सैनिको द्वारा रोहिंग्या लोगों बेतरतीब गोली मारी गई, और अनगिनत बलात्कारे हुई। जिसमें मासूम, अनभिज्ञ और निर्दोष बच्चियां भी शामिल है। लाखों मासूम और निर्दोष बच्चे अनाथ हो गए और हजारों की भूख, प्यास, लाचारी और विवशता में जाने चली गई है। घटनाओं का वीडियो और समाचार का प्रचार सोशल मीडिया में भी हुआ है। अतः इस समस्या पर गहन चिंतन व विश्लेषण की आवश्यकता है। रोहिंग्या कौन है ? रोहिंग्या कहां से आए हैं ? उन्हें समस्या के साथ क्यों जोड़ा गया है ? रोहिंग्या समस्या का समाधान किस प्रकार संभव है। संग्रहित तथ्यों का विश्लेषण कर इनका उत्तर पाने का प्रयास ही अध्ययन का मूल उद्देश्य है।

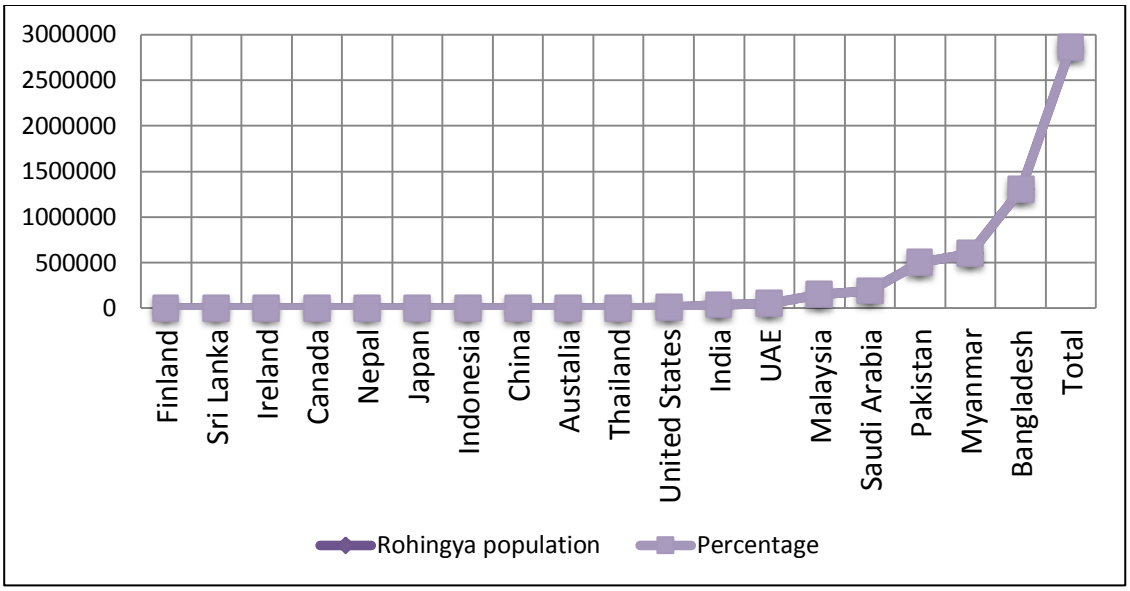

चार्ट :– प्रभावित राष्ट्रों में रोहिंग्या जनसंख्याएं।
स्रोत :– www.wikipedia.com

विषय का महत्व – रोहिंग्या समस्या

रोहिंग्याओं की समस्या के साथ संबंधित राष्ट्रों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्या भी है। रोहिंग्या शरणार्थी समस्या दिन–ब–दिन उग्र होती जा रही है। सोशल मीडिया, अखबारो व इंटरनेट आदि में रोहिंग्याओ पर हो रहे अत्याचार के समाचार व वीडियो वायरल होती रही है। जो कि अमानवीय प्रतीत होता है। सांप्रदायिक दंगों के वीडियो वायरल होने से देशभर में एवं विश्वसमाज में सद्भावना एवं राष्ट्रीय नैतिकता का पतन हुआ है। अतः राष्ट्रीय हित, मानव जीवन की रक्षा, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, इस विषय पर अध्ययन का विशेष महत्व है। यह अध्ययन तत्कालीन समस्या के निराकरण के संदर्भ में पूर्णताः नवीन एवं उपयोगी है।

चित्र :– म्यांमार में सैन्य कार्यवाही के दौरान रोहिंग्यों के जलते हूए घर ।
स्त्रोत :– www.rohingyadailynews.com

परिकल्पनाएं :–

किसी भी अध्ययन कार्य में परिकल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन होता है। परिकल्पना के द्वारा ही सत्य और असत्य की पुष्टि की जाती है। इसके उपरांत विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाया जाता है। समस्या की पहचान करने के बाद, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। जिससे अध्ययन की सीमा और दिशा का निर्धारण होता है। अतः अध्ययन की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं।

- रोहिंग्या शरणार्थी समस्या के मूल कारणों की पहचान करना है।
- रोहिंग्याओं की स्थिति व समस्याओं को विश्व पटल पर उजागर करना है।
- रोहिंग्या समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय प्राप्त करना है।

चित्र :– मो. सोहियात, उम्र डेढ़ साल, म्यांमार में सैन्य कार्यवाही में मृत रोहिंग्या चाइल्ड़।
स्त्रोत :– www.zeenews.com

पृष्ठभूमि :–

ऐतिहासिक रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को "अर्कानी इंडियन" भी कहा जाता है। जो अरकान के जंगली क्षेत्रों में सैंकड़ो सालो से रहते आ रहे हैं। अब तक इन पर दृष्टिपात नहीं की गई थी, इसका कारण ये दुर्गम क्षेत्रों में पर रह रहे थें। दुर्गम क्षेत्र में यह मानव समुदाय, अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे थे। किंतु यह लोग राज्य के उत्पीड़न, प्रताड़ना और संप्रदायिक हिंसा से बचे हुए थे। वर्ष 1826 में म्यांमार और तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में म्यांमार की पराजय हो गई और म्यांमार पर अंग्रेजो का कब्जा हो गया था। अंग्रेजों ने अपनी नीति के अनुसार, मजदूर के रुप में बांग्लादेश से लोगों को लाकर म्यांमार के रखाइन प्रांत में बसाया था, जिन्हें म्यांमार के लोग मूलनिवासी नहीं मानते थे। वर्ष 1986 में म्यांमार सरकार ने एक कानून बनाया। जिसमें म्यांमार सरकार द्वारा यह कहा गया था कि, वर्ष 1823 से पहले जो लोग म्यांमार में निवासरत हैं। उन्हें ही म्यांमार का मूल निवासी माना जाएगा। अतः इस कानून के अनुसार, बांग्लादेशी रोहिंग्या भी म्यांमार के मूल निवासी माने जाते। लेकिन वर्ष 1882 के बर्मा के सिटीजनशिप लॉ के तहत रोहिंग्याओं को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया मानकर, म्यांमार सरकार ने नागरिकता देने से इनकार कर दिया। और वह तब से लेकर, अब तक बिना पहचान के रोहिंग्याएं, जीवन जीने मजबूर हैं। रोहिंग्या मुद्दा वर्ष 1962 से पहले इस रुप में नहीं थी। वर्ष 1948 में म्यांमार के आजाद होने के बाद वहां के पहले राष्ट्रपति ने रोहिंग्याओं को देश का मूल नागरिक स्वीकार किया था। किंतु वर्ष 1962 से वर्ष 2011 तक सैनिक शासन के कारण म्यांमार में स्थानीय रोहिंग्याओं के खिलाफ क्रूर सैनिक कार्रवाई शुरू की गया। म्यांमार में वर्ष 2010 में आम चुनाव हुआ और 2011 में लोकतांत्रिक सरकार बनी फिर भी रोहिंग्याओं के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी, क्योंकि म्यांमार में वास्तविक शक्तियां आर्मी के पास ही केंद्रित रहा। म्यांमार का सैनिक सरकार रोहिंग्याओं को म्यांमार से बाहर करना चाहता है। जिसके लिए उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ दमनकारी

अभियान चला रखा है। सैनिक कार्रवाई एवं प्रताड़ना से आहत होकर रोहिंग्यास पड़ोसी राष्ट्रों में शरणार्थी हो गए हैं। अब यह ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समस्या बन गया है।

चित्र :– विश्व का सबसे बड़ा रोहिंग्या शरणार्थी कैम्प कॉक्स बाजार।
स्त्रोत :– www.aljazeera.com

म्यांमार के रखाइन प्रांत का क्षेत्रफल 36762 वर्ग कि.मी. है। म्यांमार सरकार की वर्ष 2014 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, रखाइन प्रांत की कुल आबादी 21 लाख है। जिसमें 20 लाख बौद्ध संप्रदाय से हैं। लगभग 30000 मुसलमान की जनसंख्या है एवं 10 लाख की आबादी को इस्लाम धर्म से संबंधित होने के कारण एवं बांग्लादेशी घुसपैठिए समझे जाने के कारण जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। जिसके कारण वर्ष 2012 से इस प्रांत में संप्रदायिक हिंसा जारी है। जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई है। विश्व के सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक रोहिंग्या मुसलमानों को जाना जाता है। किंतु रोहिंग्याओं को धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि www.jagran.com में छपे एक लेख के अनुसार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुजीत कुमार ने बताया है कि, वर्ष 1826 के बाद अंग्रेज पूर्वी बंगाल से लोगों को अराकान लेकर गए तो, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। अतः रोहिंग्या समुदायों में हिंदुओं की भी जनसंख्या शामिल है। वर्ष 2014 से वर्ष 2016 के बीच 10 हजार रोहिंग्याओं को म्यांमार सरकार ने देश की स्थाई नागरिकता प्रदान की है। रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या संबंधित राष्ट्रों में एक वृहद शरणार्थी समस्या बन रहा है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर मानव अधिकारों से संबंधित होने के कारण छाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि, "बांग्लादेश में अस्थाई शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को मिल रही मदद बहुत ही अल्प है, बहुत सारे रोहिंग्या अस्थाई शिविरों में या मदद कर रहे लोगों के साथ रह रहे हैं। लेकिन महिलाएं एवं बच्चे, भूखे और कुपोषित हो रहे हैं। रोहिंग्याओं की सर्वाधिक जनसंख्या बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन गई है। जो बांग्लादेश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश को यह उम्मीद थी कि, म्यांमार की हालात ठीक होने पर, रोहिंग्याएं वापस लौट जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ और अब रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से वापस म्यांमार नहीं जाना चाहते। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप रोहिंग्याओं के लिए बनाया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि, रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से बाहर किया जाएगा। क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी देश के संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में पर्यावरण और जंगल संसाधन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया गया है। इसी उद्देश्य से बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन भाषनचार द्वीप पर विस्थापित कर रहा है। भाषनचार द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग कि.मी. है। जहां एक लाख रोहिंग्याओं को रखने का लक्ष्य है। भाषनचार द्वीप

समुद्र तल से महज 6 फीट से भी कम ऊंचाई पर स्थित है। यह पूरी तरह से असुरक्षित है। यह एक नवीन द्वीप है, जो गाद से बना है। अतः यह स्थान रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए जेल की तरह है।

मूल्यांकन :– रोहिंग्या समस्या का समाधान किसी भी परिप्रेक्ष्य में पूर्णता संभव दिखाई नहीं देता है क्योंकि अशिक्षा, अज्ञानता और भूखमरी ने रोहिंग्याओं को बर्बर बना दिया है। वह अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से कोई भी मुस्लिम राष्ट्र इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका कारण असामाजिक संगठनों द्वारा इनका अनैतिक कार्यों में उपयोग किया जाना है। बांग्लादेश में मानव तस्करी, देह व्यापार, ड्रग्स एवं नशीली दवाओं का व्यापार एवं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने तक का काम रोहिंग्याओं से कराया जा रहा है, जिसे संबंधित राष्ट्रों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे के रूप में देखा जा रहा है, किंतु यह समस्या मानव जीवन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। मानवीय घटनाक्रमों से संबंधित समस्या का प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। जिसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय संघो से रोहिंग्याओं की मदद की अपील की है। रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में आज शरणार्थी कैंपों में जीवन यापन कर रहे हैं और नागरिकता विहीन होने के कारण यह अपनी पहचान तलाश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार, म्यांमार में रोहिंग्याओं को स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार नहीं है, ना ही इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में मनुष्य को यह सारे अधिकार नागरिकता के अधिकार के बाद ही प्राप्त होते हैं। नागरिकता व्यक्ति की उस दशा का नाम है, जिसमें राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और व्यक्ति को इन अधिकारों के बदले राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है। भारत और म्यांमार घनिष्ट पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण भारत के लिए म्यांमार का विशेष महत्व है। भारत और म्यांमार की 1600 कि.मी. से अधिक की सीमाएं आपस में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा में भी दोनों देश की सीमाएं मिलती है। म्यांमार की सीमा से भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्य की सीमाएं जुड़ी हुई है। जिस कारण म्यांमार के घटनाक्रमों से भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। म्यांमार में रोहिंग्याओं के ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचार से भारत की सुरक्षा एवं अखंडता में खतरा पैदा हो रहा है। जिसका भारत कूटनीतिक समाधान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। भारतीय संसद में रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में निरंतर चर्चाएं चल रही है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, ना ही इन्हें भारत में रहने दिया जाएगा क्योंकि यह सभी अवैध प्रवासी हैं। जो बांग्लादेश से अवैधानिक रूप से भारत में घुसे हैं, किंतु अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत इन रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजेगा या फिर म्यांमार भेजेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए उस पर रोहिंग्या लोगों को वापस न भेजने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिको और व्यक्तियों में विभेद करता है। जिसमें देश के नागरिकों को संविधान में वर्णित समस्त अधिकार उपलब्ध हैं। वहीं विदेशी नागरिकों सहित अन्य लोगों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार तथा अन्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं। जिसके कारण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रोहिंग्या शरणार्थियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः इस तरह रोहिंग्या शरणार्थी भारत में शरण ले कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारत ने म्यांमार में रोहिंग्याओ के समस्या के समाधान के लिए रखाइन प्रांत में 250

मकान बनाए हैं, किंतु भारत के रोहिंग्या शरणार्थी प्रताड़ना के भय से भारत को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज विश्व समुदाय आतंकवाद की समस्या से त्रस्त है। 153 से भी अधिक आतंकी संगठन आज पूरे विश्व में सक्रिय रूप से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं इंटरनेट पर आतंकवादी घटनाओं में रोहिंग्याओ के हाथ होने के समाचार ने विश्व समुदाय और संबंधित राष्ट्रों को चिंता में डाल दिया है। विभिन्न आतंकवादी संगठन द्वारा अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रोहिंग्या लोगों का सरलता से उपयोग कर रहे है। जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वैश्विक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।

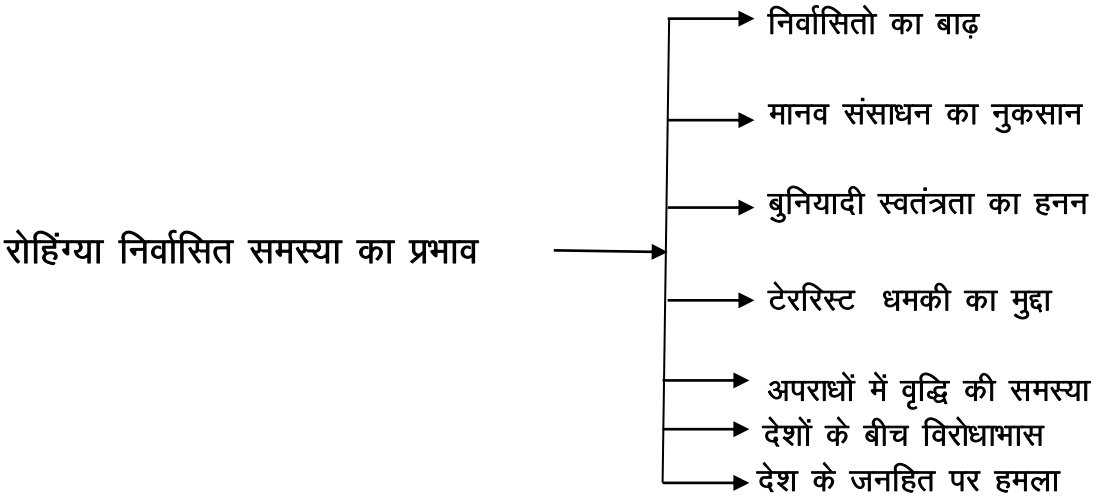

सुझाव :–

मानव जीवन को प्रभावित करने वाले किसी घटना या समस्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह मानकर तटस्थ या मौन रहना कि यह संबंधित राष्ट्र का आंतरिक मामला है, से पूरे विश्व समुदाय का विनाश हो सकता है। उदाहरण के रूप में दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोविड़–19 वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया, जो कुछ ही दिनों में पूरे चीन में फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम से अनेक राष्ट्र तटस्थ रहने का प्रयास कर रहे थे, किंतु साल के आते – आते कोविड़–19 वायरस संक्रमण पूरे विश्व समुदाय को अपने चपेट में ले लिया। करोड़ों लोगों की जानें गई और समस्या से पूरा विश्व अभी भी जूझ रहा है। रोहिंग्या समस्या भी साइलेंट किलर की तरह धीरे – धीरे विश्व समुदाय को खोखला कर रहा है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहा है एवं राष्ट्रों की शांति व सुरक्षा में बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है। विकासशील राष्ट्र और पिछड़े राष्ट्र अपने अर्थव्यवस्था व तकनीक में सक्षम नहीं होने के कारण अपने राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझाने में अटके रहते हैं। इस वैश्विक शरणार्थी समस्या के संबंध में विश्व शक्तियों का मौन रहना, तटस्थ रहना और ठोस कदम न उठाना समस्या को प्रोत्साहन देना है। शरणार्थी समस्या से आज पूरा विश्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। तत्कालिन घटनाओं क्रमों में युक्रेन संकट से जन्में नई शरणार्थी समस्या नें पूरी दुनियां में हाहाकार मचा दिया है। यदि विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनी अति आकांक्षा को विराम लगाकर, रोहिंग्या समस्या पर हस्तक्षेप कर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समाधान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की जाती है, तो यह समस्या पूरे विश्व मानव समाज को गहरी चोट प्रदान करेगा।

निष्कर्ष :– प्रत्येक राष्ट्र का अपना तत्कालीन घटनाक्रमों के अनुसार पृथक – पृथक राष्ट्रीय हित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना चाहता हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आंतरिक राजनीतिक मामलों में किसी भी प्रकार के बाहरी हिंसात्मक गतिविधियों से सुरक्षा चाहता हैं। अतः रोहिंग्या मुसलमानों के बर्बर आचरण को देखते हुए किसी भी राष्ट्र द्वारा उन्हें अपनाना आसान नहीं है। फिर भी रोहिंग्या मुसलमान एक मानव समुदाय है। जिनके लिए शिक्षा, स्वतंत्रता, मतदान, नागरिकता, आवागमन की स्वतंत्रता, यहां तक की चिकित्सा सुविधाओं तक का अभाव है। उन्हें किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। पौष्टिक भोजन के अभाव में रोहिंग्या लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के अभाव में रोहिंग्या लोग निम्न स्तरीय जीवन यापन एवं निम्न कोटि के कार्य करने को मजबूर हैं। हालांकि भारत में भारत सरकार द्वारा इन्हें रिफ्यूजी कार्ड जारी किया गया है। मई 2017 में भारत के विदेश मंत्रालय ने लिखा है की भारत सरकार अपील करती है कि, रखाइन प्रांत की स्थिति को संयम और परिपक्वता के साथ सुलझाया जाए। वहां की आम जनता और सुरक्षाकर्मियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। म्यांमार से नागरिकता विहीन रोहिंग्या शरणार्थियों का बाढ़ ने भारत में एक बड़े सामरिक संकट को जन्म दिया है। क्योंकि भारत में लगातार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या बनी हुई है। आज आतंकवादी संगठनों ने रोहिंग्याओं को इस्लाम कट्टरपंथी के प्रभाव से अपने जाल में कस लिया है। जिससे यह अपने आतंकी गतिविधियों को आसानी से अंजाम देने के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यह स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है।

विश्व स्तर पर रोहिंग्या समस्या का निराकरण :–

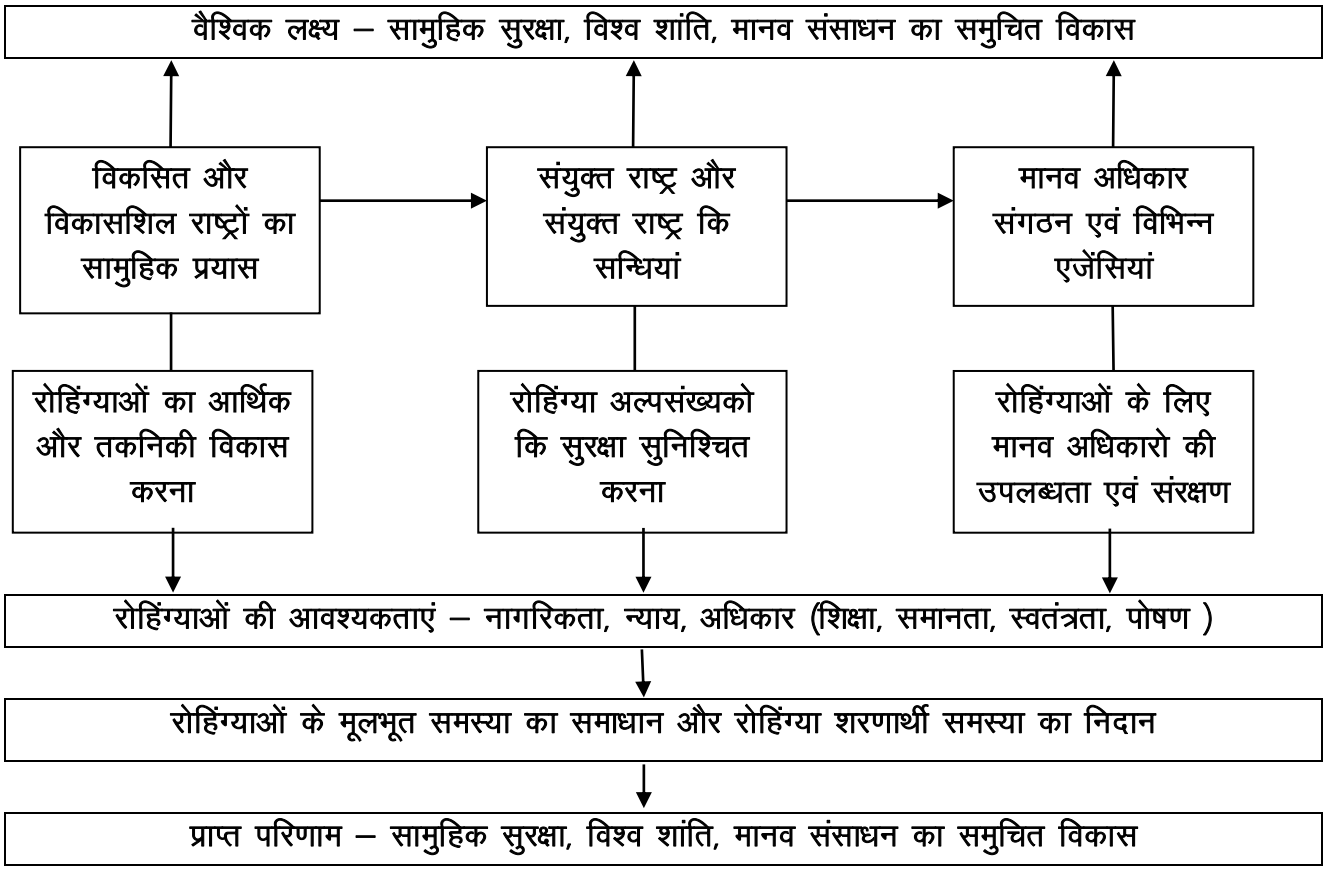

आरेख चित्र :– रोहिंग्य समस्या के समाधान हेतू आरेख।

अतः रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का त्वरित निदान किया जाना चाहिए। जिसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के संबंध में सार्थक और उचित कार्रवाई की जाए। म्यांमार में आर्मी सरकार की रोहिंग्याओं के ऊपर दमनकारी कृत्य निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून **(IHRL)** का उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि **(ICERD) 1969** के विरुद्ध, अत्याचार व अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन **(UNCAT) 1987** के विरुद्ध एवं महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संधि **(CEDAW) 1979** के विरुद्ध है। जिन पर अन्य राष्ट्रों के साथ म्यांमार और बांग्लादेश ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अतः इन संधियों के प्रभावी उपयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा म्यांमार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त संस्था **(UNHCR) 1950**, जिनका मुख्यालय स्विजरलैंड में है। जिससे रोहिंग्याओ के मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह संस्था जबरन विस्थापित समुदायों, राज्यविहीन लोगो एवं अनिवार्य शरणार्थियों की सहायता, स्वैच्छिक देश वापसी व मूलभूत सुविधा के लिए कार्य करती है। प्रभावित राष्ट्र द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए, **बाध्य और अनिवार्य कानून** बनाकर उन्हें अस्थाई नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। जिससे रोहिंग्याओं की समस्या के समाधान के साथ – साथ वैश्विक शांति एवं सुरक्षा कायम रह सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. फड़िया, डॉ. बी. एल. एवं फड़िया, डॉ. कुलदीप (2019) "अन्तर्राष्ट्रीयराजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
2. सीहल, डॉ. एस. सी. (2017) "अन्तर्राष्ट्रीयसंबंध", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
3. खन्ना, वी.एन. एवं अरोड़ा, लीपाक्षी एवं कुमार, लेस्ली (2019) "भारत की विदेश नीति", विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.), भारत
4. मिश्रा, राजेश (2018) "राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन", ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
5. कुमार, डॉ. अशोक (2018) "राजनीति विज्ञान", उपकार प्रकाशन, आगरा
6. पंत, पुष्पेश (2019) "21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीयसंबंध", McGraw Hill Education (India) pvt. Ltd., Chennai
7. सिकरी, राजीव (2017) "भारत की विदेश नीति(चुनौती और रणनीति)" SAGE bhasha publication India pvt. Ltd., New Delhi, India
8. फड़िया, डॉ. बी. एल. एवं फड़िया, डॉ. कुलदीप (2018) "लोक प्रशासन (प्रशासनिक सिद्धांत)", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
9. फड़िया, डॉ. बी. एल. (2018) "तुलनात्मक राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
10. Yadav,Santosh Kumar (2020) "Research and Publication Ethics", Ane Books Pvt. Ltd. Darya Ganj, New Delhi,
11. गाबा, ओम प्रकाश (2018) "राजनीति चिंतन की रूपरेखा", मयुर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली
12. गाबा, ओम प्रकाश (2018) "तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा", मयुर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली

समाचार पत्र :–

1. नवभारत टाइम्स

2. दैनिक जागरण
3. THE WIRE NEWS
4. BBC NEWS HINDI
5. PATRIKA NEWS
6. APF News Agency

वेबसाइटें :–

1. Wikipedia, "Rohingya people", http://en.wikipedia.org/wiki/rohingya_people_(30 Nov. 2021)
2. दैनिक अपडेट, "अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" http://www.drishtiias.com./daily-updates/daily-news-analysis/rohingyas-at-isolated-bangladesh-island
3. BBC NEWS हिन्दी, "रोहिंग्या संकट पर भारत का रूख क्या है?",https://www.bbc.com/hindi/india-41217066
4. www.legislative.gov.in/sites/default/H201947_0pdf
5. www.orfonline.org/hindi/research/rohingya_sankat_2
6. www.ndtv.in
7. www.rohingyadailynews.com
8. Hindi News/विश्व, "म्यांमार में तख्तापलट, हिरासत में आंग सान सू की, एक साल के लिए लगी इमरजेंसी" https://www.aajtak.in/world/story/myanmar-military-coup-state-emergency-aung-san-suu-kyi-detain-army-rule-1200866
9. www.zeenews.com
10. www.m.youtube.com
11. Najariya, " म्यांमार में सेना की चाल नहीं समझ पाई सू ची", https:// www.dw.com/hi/coup-another-dark-chapter-for-myanmar/a-56445480
12. राष्ट्रीय, "रोहिंग्या शरणार्थी : संरा और बांग्लादेश में समझौता" http://www.jansatta.com/national/rohingya-refugees-un-and-bangladesh-agreement/1871469
13. HINDUSTAN e – paper, "बांग्लादेश से भी निकाले जाएंगे रोहिंग्या मुसलमान? हसीना बोलीं – बन गए हैं भारी बोझ", https://www.livehindustan.com/international/story-bangladesh-pm-sheikh-hasina-says-rohingya-muslims-are-huge-burden-4850210.html
14. Wikipedia, "शरणार्थियों के लिए सयुंक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त" hmoob.in/wiki/United_Nation_High_Commissioner_for_Refugees
15. Wikipedia, "नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन", hmoob.in/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Racial_Discrimination
16. Wikipedia, " महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन", hmoob.in/wiki/Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Discriminatio_Against_Women
17. Wikipedia, "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून", hmoob.in/wiki/International_human_rights_law
18. Wikipedia, "शरणार्थी कानून", hmoob.in/wiki/Refugee_law

■ ■ ■